Election Commission of India

6

NAME OF THE NEWS PAPER दैनिक जागरण DATE: 15 AUG 2012

निर्वाचन और शासन की चुनौतियां

आजादी की 65वीं वर्षगांठ पर निर्वाचन और प्रशासनिक ढांचे की खामियों को दूर करने के ठोस उपायों की अपेक्षा कर रहे हैं जगदीप एस. छोकर

स्वतंत्रता की 65वीं वर्षगांठ पर हमारे पास गर्व करने के पर्याप्त कारण हैं। एक लोकतांत्रिक देश के रूप में खुद को बचाकर भारत ने दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। भारत के पड़ोसी देश और 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक दासता के चंगुल से मुक्त हुए तमाम देश लोकतंत्र की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की ख्याति मुख्यतः इस कारण है कि यहां संसद और विधानसभा के चुनाव नियमित तौर पर होते हैं और शांतिपूर्ण रहते हैं, किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भविष्य में झांकें और खुद से सवाल पूछें कि क्या यह काफी है? क्या हम आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत का भविष्य सुरक्षित है? जिन लोगों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, क्या उनके सपने साकार हुए हैं? हाल ही में इन सवालों का जवाब उस व्यक्ति ने दिया, जो 38 साल तक संसद का सदस्य रहा, सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में चुना गया और सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। जी हां, सोमनाथ चटर्जी ने हाल ही में कहा, 'आजादी के छह दशक बाद हम ऐसी अवस्था में आ गए हैं जब संसदीय व्यवस्था पर आधारित लोकतांत्रिक ढांचे और अहम लोकतांत्रिक संस्थानों की प्रासंगिकता व उपयोगिता के बारे में सवाल किए जा रहे हैं। आज पथभ्रष्ट राजनीति के कारण निर्वाचन प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल का वर्चस्व हो गया है।'

इस आकलन में एक कड़ा संदेश है, बल्कि कहना चाहिए कि एक चेतावनी छिपी है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत के प्रत्येक नागरिक को पूछना चाहिए- हमसे गलती कहां हुई? हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इस प्रकार के सवाल फिर से न उठें? चुनाव लोकतंत्र का दिल हैं। चुनाव के माध्यम से हम सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं कि हम यह तय करने की शक्ति किसे सौंपें कि प्रमुख सामाजिक फैसलों में भागीदारी के लिए किसे अधिकृत किया जाए। शासन संविधान के तहत गठित सरकार या कार्यकारिणी द्वारा किया जाता है। कार्यकारिणी का गठन निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसलिए जब तक निर्वाचन प्रक्रिया यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि प्रतिनिधि के तौर पर सही व्यक्तियों का चुनाव हो, तब तक शासन की पूरी व्यवस्था खराब ही रहेगी। सोमनाथ चटर्जी की चिंता भी यही है। स्वतंत्र भारत में पहला संसदीय चुनाव 1951 में हुआ था, जिसमें 489 सीटों के लिए 1874 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। यानी प्रति निर्वाचन क्षेत्र महज 3.83 उम्मीदवार। ये उम्मीदवार 14 राष्ट्रीय पार्टियों और 39 अन्य प्रादेशिक दलों से संबद्ध थे। कुल 17,32,12,343 मतदाताओं यानी 44.87 फीसदी मतदाताओं ने मतदान किया था। 2009 में हुए आखिरी लोकसभा चुनाव तक उम्मीदवारों की संख्या 8070 पर पहुंच गई। 543 सीटों पर प्रति निर्वाचन क्षेत्र औसतन 14.86 उम्मीदवार मैदान में उतरे। 71,69,85,101 व्यक्तियों ने मतदान किया और 58.18 फीसदी मतदाताओं ने 8,30,886 मतदान बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

एक उम्मीद

- **उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक वर्ग राजनीति के अपराधीकरण को मिटाने और दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के मुद्दों का हल निकाल लेगा**

इन आंकड़ों से निर्वाचन तंत्र में होने वाली जबरदस्त जटिलता स्पष्ट हो जाती है। इतने विशाल निर्वाचन के सफल क्रियान्वयन के लिए भारत का चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। इस बीच निर्वाचन प्रक्रिया में बहुत से सुधार हुए हैं, जिनमें प्रमुख है इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल। ईवीएम के कारण चुनावों में बाहुबल में कमी आई है। इसके अलावा और भी बहुत से सुधार हुए हैं, लेकिन साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया को कुछ नए रोगों ने घेरा भी है। इनमें से एक है राजनीति का अपराधीकरण। इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग 1993 में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में हुआ था। इस रिपोर्ट में जो चिंता व्यक्त की गई थी, वह सच साबित हुई। 2004 में लोकसभा में चुनकर आए 128 सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 की लोकसभा में यह संख्या बढ़कर 162 हो गई है। 1998 से प्रस्ताव रखे जा रहे हैं कि गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायपालिका में किसी भी स्तर पर दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। 1998, 2004 और 2012 में इसकी संस्तुति चुनाव आयोग ने की थी। संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए गठित आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग भी यह सिफारिश कर चुका है, किंतु राजनीतिक प्रतिष्ठान अब तक इस पर राजी होने का साहस नहीं दिखा पाया है।

जून 2011 में कानून मंत्रालय ने कैबिनेट नोट का मसौदा तैयार किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विधि मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर भी गौर करने को कहा कि जो व्यक्ति किसी अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है उसे तब तक चुनाव के अयोग्य ठहरा दिया जाए जब तक वह उच्च अदालत से बरी न हो जाए। अनजाने कारणों से ये प्रस्ताव अब तक लागू नहीं किए गए हैं। यह उन प्रमुख कदमों में से एक है जो बिना किसी देरी के उठाए जाने चाहिए। अन्य दो प्रमुख मुद्दे हैं राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और वित्तीय पारदर्शिता। जो दल खुद अपने संगठन में लोकतंत्र और पारदर्शिता नहीं ला सकता वह देश में इनकी स्थापना कैसे कर सकता है? आजादी की 65वीं वर्षगांठ पर यह उम्मीद की जा सकती है कि समूचा राजनीतिक प्रतिष्ठान राजनीति के अपराधीकरण को मिटाने और दलों में आंतरिक लोकतंत्र व वित्तीय पारदर्शिता की स्थापना के अहम मुद्दों का हल निकाल लेगा।

(लेखक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक हैं)

response@jagran.com